



2026:AHC: 2977

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19651 वर्ष 2025

रामसजीवन अहिरवाल

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	अवधेश प्रसाद
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश प्रसाद और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी नियुक्ति 01.01.2014 को संविदा के आधार पर चिकित्सा अधिकारी 'आयुष' के पद पर हुई थी, हालांकि, याचिकाकर्ता के विरुद्ध आईपीसी की धारा 304, 306 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 193 वर्ष 2020 के रूप में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता को 01.02.2023 को जमानत पर रिहा किया गया था, हालांकि, याचिकाकर्ता की सेवाएं 19.02.2021 को समाप्त कर दी गई थीं। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे दोषमुक्त कर दिया गया है लेकिन उसे सेवा में बहाल नहीं किया गया है।
3. वर्तमान याचिका में प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 2, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा, जिला महोबा द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
5. ऐसे सुझाव पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. विरोधी पक्षों के तर्कों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ **निस्तारित** किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे; जो इसे प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार कड़ाई से याचिकाकर्ता के दावे को तय करने की कार्यवाही करेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 2 की यह राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उसे प्रेषित कर दिए जाएं।

7. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह न निकाला जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किया है।

8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

7 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)